राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में
सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.)
———000———

प्रश्न 01. राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विशेष प्रावधान क्या हैं?

उत्तर – राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक विस्तृत और महत्वाकांक्षी नीति है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इसमें निम्न प्रावधान विशेष उल्लेखनीय है.

- विकल्प युक्त लचीली और विद्यार्थी शिक्षा पद्धति
- च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम
- परिणाम आधारित शिक्षा
- रोजगारोन्मुखी और अनुभवात्मक
- बहु–प्रवेशी/बहु–निर्गम (विद्यार्थी केन्द्रित
- जीवन पर्यन्त शिक्षा

प्रश्न 02. तीन साल के स्नातक और चार साल के स्नातक पाठ्यक्रम में क्या अंतर है ?

उत्तर – स्नातक में तीन वर्ष पश्चात् स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी जबकि 04 वर्ष के अध्ययन पश्चात स्नातक (ऑनर्स/रिसर्च) की उपाधि प्राप्त होगी।

प्रश्न 03. ऑनलाइन या दूरस्थ माध्यम से से पूर्ण किये गये पाठ्यक्रमों को मान्यता मिलेगी ?

उत्तर – प्राचार्य की अनुमति से SWAYAM/NPTEL अथवा म.प्र. भोज मुक्त विश्वविद्यालय से किये गये ऑनलाइन पाठ्यक्रम विद्यार्थी के ग्रेड में मान्य होंगे।

प्रश्न 04. क्या एक संस्थान छोड़कर दूसरी संस्थान में जाने पर प्रवेश मिलेगा ?

उत्तर – प्रदेश के अंदर एक शिक्षण संस्थान से दूसरे शिक्षण संस्थान में जाने पर कोई वैधानिक दिक्कत नहीं है, बशर्ते प्रवेश देने वाली संस्था के द्वारा निर्धारित मानकों/अर्हता को विद्यार्थी पूर्ण करता हो।

प्रश्न 05. यदि कोई मेधावी छात्र (Fast Learner) ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट ऑनलाइन अर्जित कर लेता है तो क्या वह निर्धारित समय से पूर्व डिग्री प्राप्त कर लेगा ?

उत्तर – मेधावी छात्र को निर्धारित क्रेडिट से अधिक क्रेडिट अर्जित करने के अवसर मिलेंगे परन्तु न्यूनतम पाठ्यक्रम अवधि में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।

प्रश्न 06 क्या मेजर/माइनर के लिये चुने गये विषय का परिवर्तन किया जा सकता है ?

उत्तर – हाँ, विद्यार्थी मेजर/माइनर विषय परिवर्तन का अवसर मिलेगा।

प्रश्न 07. बहुविषयक शिक्षा क्या है?

उत्तर – बहुविषयक पाठ्यक्रम का अर्थ है एक ही विषय का एक से अधिक विषयों के दृष्टिकोण से अध्ययन करना। बहुविषयक पाठ्यक्रम में एक ही अवधारणा को एक से अधिक विषयों के कई दृष्टिकोणों के माध्यम से सीखा जाता है। यह छात्रों को विभिन्न तरीकों से दृष्टिकोण और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है।

प्रश्न 08. क्या अध्ययन केंद्र में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम विषय के स्थान पर समान क्रेडिट का ऑनलाइन व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ा जा सकता है ?

उत्तर – हाँ, विद्यार्थी अध्ययन केंद्रों में संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम के स्थान पर प्राचार्य की अनुमति से स्वयं के व्यय पर SWAYAM/NPTEL के पोर्टल से ऑनलाइन पाठ्यक्रम पूर्ण का सकेगा।

प्रश्न 09. एन.सी.सी., एन.एस.एस., शारीरिक शिक्षा जैसे पाठ्यक्रमों की अध्यान–मूल्यांकन व्यवस्था कैसी होगी ?

उत्तर – एन.सी.सी., एन.एस.एस., शारीरिक शिक्षा जैसे पाठ्यक्रमों का शिक्षण व मूल्यांकन व्यवस्था अध्ययन केंद्र/महाविद्यालयों में पदस्थ स्टाफ से की जाएगी।

प्रश्न 10. बी.कॉम.,बी.सी.ए., बी.बी.ए.,बी.एच.एस–सी. पाठ्यक्रमों में विषय चयन कैसे होगा ?

उत्तर – इन पाठ्यक्रमों के विषयों का चयन विद्यार्थी ऑनलाईन कर सकेंगे।

प्रश्न 11. क्या विद्यार्थी द्वारा निर्धारित क्रेडित से अधिक अर्जित किए जाने को मान्य किया जावेगा?

उत्तर – हाँ, यदि मान्यता प्राप्त संस्थान से विद्यार्थी प्रतिवर्ष निर्धारित क्रेडिट से अधिकतम 06 क्रेडिट के पाठ्यक्रम को पूर्ण कर क्रेडिट अर्जित करता है तो उसे मान्य कर ग्रेउ कार्ड में दर्शाया जाएगा परन्तु ग्रेउ प्वांई औसर की गणना में अतिरिक्त क्रेडिट को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

प्रश्न 12. बहु आगमन–बहुनिर्गमन प्रणाली क्या है?

उत्तर – इस प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी अपनी गति, सुविधा और योग्यतानुसार पाठ्यक्रम को पूर्ण कर सकता है। किसी परिस्थति के कारण यदि विद्यार्थी पाठ्यक्रम के किसी स्तर पर अध्ययन छोड़ता है तो बाद में निर्धारित अधिकतम अवधि के अन्तर्गत पाठ्यक्रम छोड़ने पर उसे संकाय से संबंधित सर्टिफिकेट प्रदान किया जावेगा। द्विवीय वर्ष के पश्चात् डिप्लोमा व तृतीय वर्ष के पश्चात डिग्री(उपाधि) प्रदान की जावेगी।

प्रश्न 13 क्या आधार पाठ्यक्रम भी पूर्व अनुसार जारी रहेगा?

उत्तर – आधार पाठ्यक्रम को अनिवार्य विषय के रूप में जारी रखा गया है। नवीन स्वरूप में आधार पाठ्यक्रम के दो प्रश्न पत्र होंगे, प्रथम प्रश्न पत्र अंग्रेजी व हिन्दी भाषा का सम्मिलित प्रश्न पत्र व द्वितीय प्रश्नपत्र में अन्य दो योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है।

प्रश्न 14 CGPA क्या होता है?

उत्तर – CGPA का अर्थ है Communicative Grade point Average, जिसकी गणना विद्यार्थी द्वारा पूर्ण किए गए वर्ष/सेमेस्टर में उसके समग्र संचयी प्रदर्शन के आधार पर प्याइंट ग्रेउ पर की जाती है।

प्रश्न–15. AGPA क्या होता है?

उत्तर – AGPA का अर्थ है (Annual Grade point Average, अथवा वार्षिक ग्रेउ प्वाइंट औसत,) एक वर्ष में विद्यार्थी के विभिन्न प्रश्नपत्रों/पाठ्यक्रमों में उसके द्वारा अर्जित ग्रेड व उनके क्रेडिट के आधार पर AGPA की गणना की जाती है

प्रश्न 16. नई शिक्षा नीति के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रमों में क्या आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान होगा ?

उत्तर – हाँ, आधार पाठ्यक्रम को छोड़कर सभी विषयों में आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान होगा।

प्रश्न 17. क्या प्रथम वर्ष में चयनित सामान्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम को अगले वर्ष परिवर्तित कर सकते है ?

उत्तर – हाँ, विद्यार्थी चाहे तो प्रति वर्ष नवीन सामान्य वैकल्पिक पाठ्यक्रम का अध्ययन कर सकते हैं।

प्रश्न 18. पाठ्यक्रम में क्रेडिट का क्या अर्थ है ?

उत्तर – 01 क्रेडिट का अर्थ है 15 घंटे का अध्ययन यथा 6 क्रेडिट के पाठ्यक्रम का अध्ययन काल 90 घंटे का होगा।

प्रश्न 19. प्रायोगिक परीक्षा कितने अंकों की होगी ?

उत्तर – प्रायोगिक परीक्षा सहित सभी परीक्षाएं 100 अंकों की होगी।

प्रश्न 20. प्रथम वर्ष में चयनित किये गये इन्टर्नशिप के विकल्प को द्वितीय वर्ष में परिवर्तित कर सकते ?

उत्तर – हाँ। विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुसार इन्टर्नशिप/अप्रेन्टिसशिप/फील्डप्रोजेक्ट अथवा सामुदायिक जुड़ाव और सेवाएं में से किसी एक का चयन प्रतिवर्ष कर सकते है।

प्रश्न 21. इन्टर्नशिप/अप्रेन्टिसशिप/फील्डप्रोजेक्ट अथवा सामुदायिक जुड़ाव और सेवाएं में प्रशिक्षण अवधि कितनी होगी ?

उत्तर – इन्टर्नशिप/अप्रेन्टिसशिप/फील्डप्रोजेक्ट अथवा सामुदायिक जुड़ाव और सेवा में प्रशिक्षण अवधि 60 घण्टे की होगी।